You Can Not Change Your Future.But you Can Change Your Habits.

And Surely Your Habits Will Change Your Future.





## Introduction



# ✓ Road accidents are one of the major causes of injury, disability and death.

Reportedly, one road accident occurs every minute & one death related to road accident in every fourth minute in India.





About 380 people die every day in India due to road accidents.

Approx 34% of our country's accidental deaths take place on road.

About 10% of total global road deaths occur in India.



#### How injuries claim lives

Causes of injury deaths, World, 2004.



\*'Other' includes smothering, asphyxiation, choking, animal and venomous bites, hypothermia and hyperthermia, as well as natural disasters.



 $\checkmark$ 

## <u>Major factors causing</u> <u>road accidents</u>



Over speeding

Violation of traffic rules

**Overtaking in wrong manner** 

✓ Avoiding safety gears like- seat belt,

helmet etc.

Talking on mobile phone while driving





### Failure to understand road signs.

### Animals on the road

- ✓ Banners on the road side
- ✓ Use of stereo / TV in the vehicle
- ✓ Road crossing by pedestrian at wrong
  - places
- ✓ Failure of brakes or steering, tire burst





**Driving under influence of alcohol.**  Damaged road or illegal speed breakers ✓ Bad weather condition – Fog, heavy rainfall, wind storm etc. Projecting body outside from the vehicle by passengers Catching a running bus or boarding vehicle from wrong side.





### THE JUMBO JET – FINALLY LANDED!





Poor visibility and no-separate pathway for pedestrians

ENTRY



Animals roaming on roads

## Animal Roaming on Roads





### **Road Traffic Accidents**

The leading cause of death of young people aged

### 15-29 years

A TWO-WHEELER IS NOT A TOY

DANGEROUS AGEOF

### What is Wrong Here?



### What is Wrong Here?

" Family bike " means Family in a Bike











## ✓ Obey traffic rule.

- Avoid driving after consuming alcohol
- ✓ Always wear seat belt and helmet
  - while driving.
- Avoid mobile call while driving ✓ Understand & obey road signs & speed limits.





- Restrict driving by under aged
  - children.
- Ensure proper vehicle maintenance
  - before plying on road.
- ✓ Avoid driving in bad weather
  - condition.

### Hand signals-Avoid confusion and accidents

Hand signals to be given to traffic behind you

I am going to move out or turn to my right.

I want to turn to my left. Note that the car driver moves his arm and hand in an anti-clockwise direction.

I am going to slow down or stop.







HAND SIGNALS FOR BIKERS

ixigo

#### How To Slow Down

Arm extended straight out with your palm facing down. Swing down to your side.



### **Solve the Puzzle**









U TURN PROHIBITED STR A IGHT PROHIBITED

TRUCK PROHIBITED

HAND CART BULLOCK CART



OVERTAKING PROHIBITED



RIGHT TURN PROHIBITED



CYCLISTS PROHIBITED



NO STOPPING





### <u>सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</u> <u>अधिसूचना</u> नई दिल्ली, 12 मई 2015

1

किसी सड़क दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी सहित कोई भी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेकर जा सकता है, तथा उसको तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी और उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिवाय सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी के, जिसे पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा।



3.



## सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने हेतु अन्य नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उचित ईनाम या मुआवजा दिया जाएगा।

बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी सिविल तथा आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायों नहीं होगा।





कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जो सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति के लिए पुलिस को सूचना देने अथवा आपातकालीन सेवाओं हेतु फोन कॉल करता है. उसे फोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।





गुड सेमेरिटन का नाम और संपर्क विवरण जैसी व्यक्तिगत सूचना को बताया जाना स्वैच्छिक तथा वैकल्पिक बनाया जाएगा। एसा अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए गए मैडिको लीगल केस (एम0एल0सी0) फार्म में भी किया जाएगा।





## उन लोक अधिकारियों के विरूद्ध संबंधित सरकार द्वारा अनुशासनात्मक या विभागीय कायवाही की जाएगी जो किसी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को अपना नाम अथवा व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य करेंगे अथवा धमकाएंगे।





7

यदि कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जिसने स्वैच्छिक रूप से उल्लेख किया है कि वह उस दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी है तथा पुलिस द्वारा अथवा मुकदमे के दौरान जांच-पड़ताल के प्रयोजनों के लिए उसका जांच किया जाना अपेक्षित है तो उससे एक ही बार पूछताछ की जाएगी तथा उसे उत्पीडित अथवा धमाकाया ना जाए।





बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, को उत्पीड़न से बचाने अथवा असुविधा से दूर रखने के लिए पूछताछ के दौरान विडियो कांफ्रेसिंग का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाएगा।

化碱 化化化碱 经公式通知公式通知公式通知公式通知公式通知公式

是"中心"的"是"你们的"的"中心"的"中"。





स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिशा–निर्देश जारी करेगी जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि कोई भी पंजीकृत सार्वजनिक और निजी अस्पताल बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को न रोंके अथवा पंजीकरण और भर्ती लागतों के लिए भुगतान की मांग न करे, जब तक कि गुड सेमेरिटन घायल व्यक्ति के परिवार का सदस्य अथवा सगा-सम्बंधी न हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार घायल व्यक्ति का तत्काल इलाज किया जाए।





सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित किसी आपातकालीन 10. परिस्थिति में, जिस समय डॉक्टर से चिकित्सीय देखभाल प्रदान किय जाने की आशा की जाती है, किसी डॉक्टर द्वारा प्रतिक्रिया के अभाव को भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचार, शिष्टाचार और नैतिक) विनियम, 2002 के अध्याय-7 "व्यवसायिक कदाचार" के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा तथा उस डॉक्टर के विरूद्ध कथित विनियमन के अध्याय-8 के तहत अनुशासनात्मक कायवाही की जाएगी।





सभी अस्पताल इस आशय का अपने प्रवेश द्वार पर 11. हिंदी, अंग्रेजी और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की देशी भाषा में एक चार्टर प्रकाशित करेंगे कि वे बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को नही रोकेंगे अथवा किसी पीडित के उपचार के लिए उनसे धन जमा कराने के लिए नहीं कहेंगे।

to be a sector be a sinch





यदि कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन चाहे तो 12. अस्पताल उसे घायल व्यक्ति को अस्पताल में लाने तथा समय और स्थान के संबंध में, उस गुड सेमेरिटन को एक पावती उपलब्ध कराएगा तथा एसी पावती को राज्य सरकार द्वारा एक मानक फार्मेट में तैयार किया जाएगा तथा उपयक्त समझे जाने पर बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी अस्पतालों में इसे वितरित किया जाएगा।





13. सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन तत्काल रूप से किया जाएगा तथा इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन न किए जाने अथवा उल्लघंन किए जाने के मामले में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित कायवाही की जाएगी।



इन दिशा-निर्देशों से युक्त एक पत्र केन्द्रीय सरकार 14. और राज्य सरकार द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रााधिकार के तहत सभी अस्पतालों और संस्थानों में जारी किया जाएगा जिसमें इस अधिसूचना की राजपत्रित प्रति भी संलग्न होगी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सडक परिवहन और राजर्माग मंत्रालय द्वारा इन दिशा–निर्देशों के बारे में आम जनता को सूचित किए जाने हेतु सभी राष्ट्रीय और एक क्षेत्रिय समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे।

#### Penalties under Motor Vehicle Amendment Bill – 2016

Section		Old Provision / Penalty	New Proposed Provision / Minimum Penalties
177	General	Rs 100	Rs 500
New 177A	Rules of road regulation violation	Rs 100	Rs 500
178	Travel without ticket	RS 200	Rs 500
179	Disobedience of orders of authorities	Rs 500	Rs 2000
180	Unautorized use of vehicles without licence	Rs 1000	Rs 5000
181	Driving without licence	Rs 500	Rs 5000
182	Driving despite disqualification	Rs 500	Rs 10,000
182 B	Oversize vehicles	New	Rs 5000
183	Over speeding	Rs 400	Rs 1000 for LMV Rs 2000 for Medium passenger vehicle
184	Dangerous driving penalty	Rs 1000	Upto Rs 5000
185	Drunken driving	Rs 2000	Rs 10,000
189	Speeding / Racing	Rs 500	Rs 5,000
192 A	Vehicle without permit	upto Rs 5000	Upto Rs 10,000
193	Aggregators (violations of licencing conditions)	New	Rs 25,000 to Rs 1,00,000
194	Overloading	Rs 2000 and Rs 1000 per extra tonne	Rs 20,000 and Rs 2000 per extra tonne
194 A	Overloading of passengers		Rs 1000 per extra passenger
194 B	Seat belt	Rs 100	Rs 1000
194 C	Overloading of two wheelers	Rs 100	Rs 2000, Disqualification for 3 months for licence
194 D	Helmets	Rs 100	Rs 1000 Disqualification for 3 months for licence
194 E	Not providing way for emergency vehicles	New	Rs 10,000
196	Driving Without Insurance	RS 1000	Rs 2000
199	Offences by Juveniles	New	Guardian / owner shall be deemed to be guilty. Rs 25,000 with 3 yrs imprisonment. For Juvenile to be tried under JJ Act. Registration of Motor Vehicle to be cancelled
206	Power of Officers to impound documents		Suspension of driving licenses u/s 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E
210 B	Offences committed by enforcing authorities		Twice the penalty under the relevant section







We share the second



## A wise man learns by the experience of others,

## A fool

## by his own !

## No Safety Know Pain



# Know Safety No Pain



## I Follow Traffic Rules



& You..!!

## ANY QUESTION



